

डिक्री व मुकदमें इबतदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendlax 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर, चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

अनवान :-

वादी - 1.सुमार पुत्र जूणा, जाति सिंधी मुसलमान
निवासी खानू का तला, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.सिला पुत्र शेरा 2.मलूकाबाई पत्नि आमद 3.मीयबाई पत्नि सौकतअली
जाति सिंधी मुसलमान, निवासी खानू का तला, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर
4.तहसीलदार धनाऊ

वाद अर्न्तगत धारा 53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 24 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री शाकर खान एच. एड. मिनजानिब मुदाई व श्री एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा दीनगढ़, पटवार क्षेत्र आलमसर, तहसील धनाऊ के खेत खसरा सं. 784/454 रकबा 17.4824 हैक्टर का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरों की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज मबलिंग बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसरत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 06.02.2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....

ओहदा

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

मुदई	रुपया	घं.	मुदायलाह	रुपया
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पडमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मीजान			मीजान	

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे



क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिद्यत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	सुमार पुत्र जुणा, जाति सिंधी मुसलमान, सा.देह खातेदार	दीनगढ़	784/454	05.0796	बा.सो.	01.58	हरा
2	सिला पुत्र शेरा, मलूकाबाई पत्नि आमद, मीयबाई पत्नि सौकतअली, जाति सिंधी मुसलमान, सा.खानू का तला खातेदार	दीनगढ़	784/454	12.2895	बा.सो.	03.82	गुलाबी
3	सुमार पुत्र जुणा, मलूकाबाई पत्नि आमद, मीयबाई पत्नि सौकतअली, सिला पुत्र शेरा, कौम सिंधी मुसलमान, सा.खानू का तला खातेदार	दीनगढ़	784/454	00.1133	बा.सो.	00.02	काला

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 24/2023

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अनवान

वादी –

1.सुमार पुत्र जूणा, जाति सिंधी मुसलमान
निवासी खानू का तला, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1.सिला पुत्र शेरा 2.मलूकाबाई पत्नि आमद 3.मीयबाई पत्नि सौकतअली
जाति सिंधी मुसलमान, निवासी खानू का तला, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर
4.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण –

वादी वकील – श्री शाकर खान एच.
प्रतिवादीगण वकील – एकतरफा



निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act.


दिनांक :- 06.02.2025

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धनाऊ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली पेश हुई । वादी अधिवक्ता उपस्थित हुए । तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

वादी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव उन्हें स्वीकार है । विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय करते हुए डिक्री जारी की जावे ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है ।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा दीनगढ़, पटवार क्षेत्र आलमसर, तहसील धनाऊ के खेत खसरा सं. 784/454 रकबा 17.4824 हैक्टर के आये हुए है । उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है ।


सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन